संख्या-24 / 2026/ 874 /सत्रह-म-2026-17-1099/19/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिनाक 25 मई, 2026

विषयः उत्तर प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारत मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2 95/नि0शा0/ दिशा- निर्देश/ 2026-27 दिनांक 07.05.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारत मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना को सम्यक विचारोपरान्त क्रियान्वयन/संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उत्तर प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारत मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना को संचालित/ क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा- निर्देश निम्नवत हैं -

योजना के दिशा-निर्देश

-

योजना का परिचय-

पर्यावरण प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों एवं जलीय स्त्रोतों में मत्स्य संपदा खतरे में हैं। इस प्रभाव से पर्यावास, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली, जैव विविधता और पारंपरिक मत्स्य पालन की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ये प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं।

बढ़ती मानव आबादी के साथ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता और मछली उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही है। मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग से निरंतर मत्स्य संपदा को संरक्षण देने के लिए, साथ ही मुख्य रूप से मछली पकड़ने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और अंतर्देशीय समुदायों के व्यापार और सामाजिक संरक्षण पर केंद्रित पारंपरिक मत्स्य पालन के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए "रिवर रैंचिंग" एक ऐसा कार्यक्रम है, जो सतत मत्स्य संपदा को संरक्षण एवं बढ़वा प्रदान कर सकता है,जैव विविधता, सामाजिक-आर्थिक लाभों को संरक्षण प्रदान कर सकता है ।

योजना का उद्देश्य- रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य नदी प्रणाली में हमारी भारतीय मेजर कार्प तथा राज्य मीन चिताला मत्स्य प्रजातियों की सतत का संरक्षण एवं प्रजनन विकास को बढ़ावा देते हुए स्थानीय प्रजातियों की मत्स्य संपदा में बढ़ोतरी किया जाना है। मत्स्य आखेट तथा

उससे प्राप्त आय में वृद्धि करना, आजीविका में सुधार करना और नदियों की जैव विविधता बनाए रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य घटती मत्स्य संपदा को बढ़ाना और द्वितीयक रूप से पाली जाने वाली राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प जैसी अन्य मछली प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ाना है। इस घटक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

I. नदी में स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने और राज्य मीन चिताला को संरक्षित करना ।
II. उत्पादकता बढ़ाने के लिए फिंगरलिंग का नियमित रूप से संचय करना ।
III. उत्तर प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प जैसी मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
IV. इन संसाधनों पर निर्भर समुदायों के लिए आय और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना
V. पर्याप्त मत्स्य संपदा की बहाली के लिए छोड़ी गई मछलियों को बढ़ने और प्रजनन करने देने जैसी उपयुक्त प्रबंधन रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
VI. राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प के अत्यधिक कम हो चुके पुनर्स्थापित करने के लिए हैचरी से मत्स्य बीज को नदियों में छोड़ना तथा संवर्धन के लिए प्राकृतिक पर्यावास संरक्षण करना।

इकाई लागत: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु प्रथम चरण में कुल रु०200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमे राज्य मीन चिताला की मत्स्य अंगुलिका (80-100 मिमी आकार के) संचय के लिए 20 रुपये प्रति अंगुलिका तथा भारत मेजर कार्प की मत्स्य अंगुलिका (80-100 मिमी आकार के) संचय के लिए 3 रुपये प्रति मत्स्य अंगुलिका के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मत्स्य अंगुलिका संचय गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने एवं प्रचार प्रसार के लिए आवंटित बजट का 10% फोटो,वीडियो, अभिलेखों एवं योजना का प्रचार आदि पर खर्च किया जाएगा।

क्रम	मद	आच्छादित जल क्षेत्र (किमी०)	मत्स्य बीज फिंगरलिंग (सं०लाख में)	इकाई लागत प्रति अंगुलिका यातायात सहित (धनराशि रू० में)	कुल परियोजना लागत (लाख में)	अनुदान प्रतिशत	अनुदान धनराशि (लाख में)
1	नदियों में मत्स्य बीज फ्गिरलिंग संचय हेतु अनुदान योजना	14000	50.0	3.00	150.00	100	150.00
2	गंगा नदी में चिताला मत्स्य बीज फिंगरलिंग संचय	492	2.50	20.00	50.00	100	50.00
	योग	-	-	**23.00**	**200.0**		**200.0**

कार्यान्वयन की प्रक्रियाएँ: यह गतिविधि राज्य की सहायता के अंतर्गत "उत्तर प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजना" के रूप

में कार्यान्वित की जाएगी।

कार्यान्वयन: रिवर रैन्चिंग हेतु वांछित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका (70-80 mm आकार के) उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित SOP का पालन करते हुए नियमानुसार निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के लिए स्थल का चयन उल्लिखित मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार संबंधित मंडलीय उप निदेशक मत्स्य द्वारा किया जाएगा। जनपद में मत्स्य संपदा की पूर्ति के लिए नदी में पाई जाने वाली उत्तर प्रदेश राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प मछलियों के ब्रूड से उत्पन्न मछली के बीजों से नदी में रैन्चिंग कार्य किया जाएगा

लक्षित प्रजातियाँ: इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी प्रणाली में पाई जाने वाली स्थानीय भारतीय मेजर कार्प प्रजाति की मछलियों, उ०प्र० राज्य मीन चिताला और अन्य सभी स्थानीय प्रजातियों की संख्या को बढ़ाना है। रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य नदी बेसिन के विभिन्न खंडों में पाई जाने वाली राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प मछलियों की विविधता, स्टॉक का आकलन और संवर्धन करना है। स्थानीय मत्स्य प्रजातियों के छोटे बच्चों को नदी के वातावरण में संचय करना जिससे उनका विकास हो सके। मत्स्य प्रजाति के पुनर्स्थापन, संरक्षण और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः इससे मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होगी। किसी भी विदेशी प्रजाति, प्रतिबंधित प्रजाति को रिवर रैंचिंग कार्यक्रम में नहीं संचित किया जाएगा।

रिवर रैंचिंग कार्यक्रम की समयरेखा : रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प की मत्स्य अंगुलिका का संचय माह अक्टूबर/नवंबर में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए किया जाएगा।

अपेक्षित परिणाम : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन,मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, स्थानीय मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मत्स्य प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करना है।

निगरानी एवं मूल्यांकन: परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित गतिविधियों की प्रगति जानने के लिए संबंधित मंडलीय उपनिदेशक मत्स्य नोडल अधिकारी होंगे तथा मत्स्य निदेशालय द्वारा समय-समय पर टीम गठित कर निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। रिवर रैन्चिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थल पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गोष्ठी की माध्यम से योजना का उद्देश्य एवं प्रचार प्रसार करवाते हुए रैन्चिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराई जाएगी।

रिवर रैंचिंग कार्यक्रम की प्रक्रिया:

1. राज्य मोन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प मछलियों (प्रजनक, उप-वयस्क आदि) के संग्रहण के लिए स्थल का चयन(माह अप्रैल/मई)।
2. उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड द्वारा नदी या नदी से सक्रिय रूप से जुड़े जल निकाय से जीवित और स्वस्थ प्रजनकों का संग्रह करना (माह मई से 15 जून तक)।
3. कैप्टिव अवस्था में मछलियों के विकास और वाइल्ड जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए जीवित मछलियों का परिवहन। (विशेष बिन्दु; जीवित मछलियों (वयस्क या प्रजनन करने वाली मछलियाँ) को स्वस्थ अवस्था में परिवहन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली का पालन किया जाएगा ।)
4. प्रजनन कार्यक्रम के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि कोई संकर/अंतःप्रजनन न

हो।

5. यदि ब्रोडिंग पूल का उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें प्रजनन के लिए केवल एक ही प्रजाति के मछली को प्रयोग कीए जाएगा, जिससे मत्स्य विभाग के अधिकारी अनिवार्य रूप से अपनी देखरेख में यह कार्यवाही सम्पन्न करवाएं।
6. यदि स्ट्रिपिंग विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो स्ट्रिपिंग के लिए एक ही प्रजाति के नर और मादा का उपयोग करें।
7. हैचरी की पूरी प्रक्रिया का पालन करें। (इंजेक्शन, स्पॉनिंग और हैचिंग आदि जैसी मानक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।)
8. उत्पादित स्पान को पालने के लिए नर्सरी तालाबों को प्रजनन से पहले मानक के अनुसार तालाबों/नर्सरी की तैयारी पूर्ण की जानी आवश्यक हो।
9. प्लवक घनत्व एवं उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए समय-समय पर अकार्बनिक/कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
10. नियमित रूप से जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ना चाहिए और पाली गई मछलियों के स्वास्थ्य का नियमित प्रबंधन किया जाना चाहिए तथा अलग-अलग प्रजातियों को अलग-अलग तालाब में संरक्षित किया जाए। प्रजनन की समस्त गतिविधियां माह जुलाई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण की जानी आवश्यक होगी।
11. रिवर रैंचिंग कार्यक्रम स्थल पर बीज परिवहन से पहले पूर्व-परिवहन प्रबंधन का पालन किया जाना चाहिए (आंतों को खाली करने के लिए चारा बंद करना, पहले जल लगाना, 2-3 घंटे के लिए हापा में कन्डिशनिंग हेतु रखना)।
12. खुले टैंक में मछलियों के बच्चों के परिवहन के दौरान देखभाल (पानी बदलना , निर्धारित स्तर की ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑक्सीजन बढ़ाने वाली गोलियां देना, एयरेशन आदि का प्रयोग आवश्यक होगा)।
13. छोटी मछलियों को नदी के वातावरण के अनुकूल ढालने की पूरी प्रक्रिया की जानी चाहिए। नदी में छोड़ने से पहले छोटी मछलियों को नदी के पानी में लगे हापा में रखा जाना चाहिए तथा उचित अनुकूलन किया जाना आवश्यक होगा।
14. रिवर रैंचिंग कार्यक्रम स्थल का चयन महत्वपूर्ण है (कम मछली पकड़ने के दबाव वाले , कम पानी के बहाव का क्षेत्र, ऑक्सबो लेक वाली जगह एवं गहरे जलक्षेत्र वाले स्थान आदि का चयन किया जाना आवश्यक होगा)। जहां छोड़ने के उपरान्त predatory fish आदि से संरक्षण प्राप्त हो सके।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 22-05-2026 15:53:00

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-24 /2026/ 874 (1) / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई टिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।